दिनांक 29.07.2013 को एन0आर0एच0एम0 के जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति चतरा की बैठक माननीय सांसद सह अध्यक्ष श्री इन्दर सिंह नामधारी, चतरा लोक सभा क्षेत्र की अध्यक्षता में रेफरल अस्पताल, सिमरिया के सभा कक्ष में हुई, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी उपस्थित हुए:–

सदस्यों की उपस्थिति :– पंजी में दर्ज है एवं इस कार्यवाही के प्रति के साथ संलग्न है।

<u>बैठक की कार्यवाही</u>

सर्वप्रथम सिविल सर्जन, चतरा, द्वारा माननीय सांसद सह अध्यक्ष महोदय को बैठक में स्वागत किया गया एवं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की महत्ता पर प्रकाश डाला गया एवं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई । गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा सदन के समक्ष रखा गया ।

<u>प्रस्ताव सं0 01</u> :– अनुपालन अप्राप्त । समीक्षा के क्रम में जिला लेखा प्रबंधक, चतरा द्वारा प्रतिवेदन हेतु समय की मॉग की गई । माननीय अध्यक्ष द्वारा अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला लेखा प्रबंधक, चतरा को दिया गया ।

अनुपालन– अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला लेखा प्रबंधक चतरा ।

<u>प्रस्ताव सं0 02</u> :– गत बैठक दिनांक 14.04.2013 को सम्पन्न बैठक में तत्कालीन सिविल सर्जन डा0 अमर नाथ प्रसाद द्वारा स्थापना मद से वित्तीय वर्ष 2011–12 मद में क्रय की गई आपूर्ति एवं सामग्री मद में अनियमितता के आरोपो की जॉच प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, चतरा की अध्यक्षता में गठित जॉच दल द्वारा की गई थी । संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया पाये गये आरोपो के आधार पर तत्कालीन सिविल सर्जन एवं क्रय समिति के सभी सदस्यो के साथ–साथ आपूर्तिकर्त्ता श्री प्रमोद गुप्ता मेसर्स आर0बी0पी0 फर्मा लातेहार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु सिविल सर्जन चतरा द्वारा उक्त नियमन का अनुपालन नहीं किया गया । सिविल सर्जन, चतरा द्वारा बताया गया कि संगत संचिका प्रभारी सहायक श्री प्रेम साहु द्वारा मेरे समक्ष उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण मेरे द्वारा उक्त संचिका में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अंकित निदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस लापरवाही पर क्षोभ व्यक्त किया गया एवं चिंता जाहिर की

Uday/13

प्रस्ताव सं0 06 :— प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र रूद एवं बेला में कुछ असामाजिक तत्वो द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य उपकेन्द्र बेला अवैध कब्जा से मुक्त हो गया है, परन्तु स्वास्थ्य उपकेन्द्र रूद अभी भी अवैध कब्जा में है । माननीय अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता, चतरा को निदेश दिया गया कि जिला स्तर से दंडाधिकारी से स्वास्थ्य उपकेन्द्र रूद को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाय।

अनुपालन— अपर समाहर्त्ता, चतरा ।

प्रस्ताव सं0 07 :— महिला चिकित्सक के सिमरिया में न रहने के कारण अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जनता के उग्र आक्रोश का सामना करना पड़ा । माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 14.04.2013 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में रेफरल अस्पताल सिमरिया में महिला चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड रॉची को पुनः स्मार देने का निदेश सिविल सर्जन, चतरा को दिया गया ।

अनुपालन—सिविल सर्जन, चतरा ।

उपरोक्त संशोधनो के साथ गत बैठक की कार्यबाही की सम्पुष्टी की गई ।

आज की बैठक की कार्यबाही

प्रस्ताव सं0 01 :— माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मामला लाया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल सिमरिया द्वारा राज्य सभा सांसद मद से उपलब्ध कराई गई आतुर वाहन को अपने निजी कार्य में लाया जाता है । आतुर वाहन को चलाने के कागजात का अवलोकन माननीय अध्यक्ष द्वारा एवं सदस्यो द्वारा सदन में ही किया गया । पाया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिमरिया द्वारा आतुरवाहन का उपयोग करीब 1300 कि0मी0 निजी कार्यो में किया गया है । प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिमरिया द्वारा बताया गया कि पूर्व के अस्पताल प्रबंधन समिति द्वारा आतुर वाहन का चालक की अवैध नियुक्ति की गई है, जिसके कारण उक्त चालक से कार्य नहीं लिया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन, चतरा को निजी कार्य में उपयोग किये गये आतुर वाहन के संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिमरिया से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्रवाई किया जाय, साथ हीं आगामी बैठक के पूर्व सदन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाय । साथ हीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल सिमरिया को निदेश दिया गया कि अस्पतल प्रबंधन समिति की बैठक कर

Uday/13

उपस्थित रहते है एवं इनकी कार्यशैली की समीक्षा अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेगें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके ।

माननीय उपाध्यक्ष, जिला परिषद, चतरा द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र पीरी एवं शीला में साप्ताहिक बाजार के दिन किसी एक चिकित्सा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति कराने का अनुरोध किया गया । माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिमरिया को निदेश दिया गया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र पीरी एवं शीला में साप्ताहिक बाजार के दिन किसी एक चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित किया जाय एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन आगामी बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

अनुपालन– प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, सिमरिया ।

<u>प्रस्ताव सं0 05 :–</u> उपायुक्त चतरा द्वारा बताया गया कि रेफरल अस्पताल सिमरिया के बाह्य कक्ष में चिकित्सा पदाधिकारी की कार्य तालिका बोर्ड में अंकित नहीं है । माननीय अध्यक्ष द्वारा बोर्ड बनाकर वाह्य कक्ष में चिकित्सकों के दैनिक कार्य तालिका संधारण करने का निदेश दिया गया, ताकि आम जनों को जानकारी सुलभ हो सके।

अनुपालन– प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, सिमरिया ।

<u>प्रस्ताव सं0 06 :–</u> माननीय अध्यक्ष एवं उपायुक्त चतरा को क्षेत्र की जनता से मिल रही शिकायत को ध्यान में रखते हुए डा0 नीलकमल भारद्वाज के कार्यो एवं उपस्थित रहने के संबंध में डा0 नीलकमल भारद्वाज को बैठक में बुलाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया । इस संदर्भ में उन्होने बैठक में बताया कि मैं कैंसर रोग से ग्रसित हूँ । मैं प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को अस्पताल आता हूँ एवं शुक्रवार के शाम में वापस घर जाता हूँ । मेरा कैंसर का ईलाज मुम्बई एवं पटना से चल रहा है । पैसे के अभाव में मैं अपना ईलाज ठीक ढंग से नहीं करा पा रहा हूँ। मुझे पॉच माह से आवंटन के अभाव में मानदेय का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है । माननीय अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन चतरा को निदेश दिया गया कि नियमानुसार विभाग से आवंटन प्राप्ति हेतु एवं मानदेय भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

अनुपालन–सिविल सर्जन, चतरा ।

<u>प्रस्ताव सं0 07 :–</u> माननीय उपाध्यक्ष, जिला परिषद चतरा द्वारा मामला लाया गया कि चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य उपकेन्द्र पत्थलगडा का भ्रमण नहीं करते है । माननीय अध्यक्ष द्वारा

Uday/13

प्रस्ताव सं0 12 :– माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि श्री उपेन्द्र कुमार पिता श्री दशरथ राम, ग्राम बेलगडा, पो0 दुन्दुआ थाना सिमरिया, जिला चतरा जो हृदय रोग से ग्रसित है जिनका ईलाज भेलोर से कराना है । बीमारी सहायता निधि समिति के समक्ष रोगी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र में उपेन्द्र कुमार एवं उपेन्द्र राम दो अलग नाम का प्रमाण पत्र दाखिल करने के कारण राशि की स्वीकृति नहीं दी गई थी । प्रमाण पत्रो की समीक्षोपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया इस संबंध में रोगी से एक शपथ पत्र प्राप्त कर लें कि दोनो प्रमाण पत्र उसी रोगी का हीं है । तत्पश्चात् उपायुक्त एवं सिविल सर्जन चतरा अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें ।

अनुपालन – सिविल सर्जन, चतरा ।

प्रस्ताव सं0 13 :– माननीय उपाध्यक्ष, जिला परिषद, चतरा द्वारा मामला लाया गया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र सोहर एवं डाडी का भवन बनकर तैयार है, उसे हैंडओभर कराया जाय । साथ हीं बरसात के मौसम को देखते हुए महामारी रोकने संबंधी संबंधी दवा की उपलब्ध कराने का मामला लाया गया । माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित कार्य एजेंसी को स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन सोहर एवं डाडी को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिमरिया को हैंडओभर करने एवं महामारी रोकने की दवा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में उपलब्ध कराने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया ।

अनुपालन– सिविल सर्जन चतरा एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सिमरिया ।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

[signature] 29.7.2013	[signature] 16/8/2013	[signature] 22/8/2013
असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–मुख्य चिकित्सा पदा0, चतरा । [signature] 29.7.13	उपायुक्त, चतरा ।	अध्यक्ष, निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, एन0आर0एच0एम0–सह– सांसद, चतरा लोक सभा क्षेत्र, चतरा ।

ज्ञापांक 1525 / चतरा, दिनांक 30.8.13

प्रतिलिपि :– सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा जिला / सभी प्रखंड लेखा पदाधिकारी, चतरा जिला / सभी प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, चतरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, चतरा / सभी प्रोग्राम पदाधिकारी(स्वास्थ्य विभाग)चतरा जिला / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, चतरा / जिला कार्यक्रम समन्वयक, चतरा एवं जिला लेखा प्रबंधक, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Uday/13

दिनांक 29.07.2013 को एन0आर0एच0एम0 के जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति चतरा की बैठक माननीय सांसद सह अध्यक्ष श्री इन्दर सिंह नामधारी, चतरा लोक सभा क्षेत्र की अध्यक्षता में रेफरल अस्पताल, सिमरिया के सभा कक्ष में हुई, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी उपस्थित हुए, जिनकी सूची निम्नवत् है :—

01. उपायुक्त, चतरा ।
02. माननीय विधायक, चतरा विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि ।
03. माननीय विधायक, सिमरिया विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि ।
04. अध्यक्ष, जिला परिषद, चतरा ।
05. उपाध्यक्ष, जिला परिषद, चतरा ।
06. सिविल सर्जन, चतरा
07. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, चतरा ।
08. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरिया ।
09. अंचल अधिकारी, सिमरिया ।
10. जिला मलेरिया पदाधिकारी—सह—उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, चतरा ।
11. जिला कार्यक्रम समन्वयक, चतरा ।
12. जिला लेखा प्रबंधक, चतरा ।
13. अस्पताल प्रबंधक, सदर अस्पताल, चतरा ।
14. प्रखंड प्रमुख, सिमरिया ।
15. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र, हंटरगंज ।
16. प्रभारी चिकित्सा रेफरल अस्पताल सिमरिया ।
17. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र, चतरा ।
18. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र, प्रतापपुर ।
19. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र, ईटखोरी ।
20. प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, हंटरगंज ।
21. प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, प्रतापपुर ।
22. प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, ईटखोरी ।
23. प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, सिमरिया ।
24. प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, चतरा ।
25. प्रखंड लेखा प्रबंधक, सिमरिया ।
26. प्रखंड लेखा प्रबंधक, ईटखोरी ।
27. प्रखंड लेखा प्रबंधक, हंटरगंज ।
28. प्रखंड लेखा प्रबंधक, प्रतापपुर ।
29. प्रखंड लेखा प्रबंधक, टंडवा ।

29.7.2013

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
चतरा

Uday//